रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—72 REGISTERED No. D. (D.N.)—72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 263] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 25, 1982/आषाढ 4, 1904
No. 263] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 25, 1982/ASADHA 4, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 25 जून, 1982

का० आ० 441(अ)/18ब० ख०/आई० डी० आर० ए०/82 :—केन्द्रीय सरकार ने, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18ब ख की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० 411(अ)/18 ब ख/आई डी आर ए/78, तारीख 27 जून, 1978 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा घोषित किया था कि उक्त आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी संविदाओं, सम्पत्ति हस्तान्तरण पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखितों (उनसे भिन्न जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्वों से संबंधित है) का प्रवर्तन जिनका मैसर्स इन्वेक टायर्स लिमिटेड, कलकत्ता नामक औद्योगिक उपक्रम या ऐसे औद्योगिक उपक्रम की स्वामित्व कम्पनी एक पक्षकार है या जो ऐसे औद्योगिक उपक्रम या कम्पनी को लागू हो, एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख से पूर्व उसके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व उक्त अवधि के लिए निलम्बित रहेंगे;

और उक्त आदेश की अवधि को 26 जून, 1982 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, और विस्तारित किया गया था, देखिए सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) का आदेश सं० 515(अ)-18ब ख/आई० डी० आर० ए०/81, तारीख 26 जून, 1981;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि को एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए विस्तारित किया जाना चाहिए;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18ब ख की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त आदेश की अवधि को 26 दिसम्बर, 1982 तक जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, छः मास की अतिरिक्त अवधि के लिए विस्तारित करती है।

[फा०सं० 2(20)/80-सीयूएस]

रा० कु० भार्गव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 25th June, 1982

S.O. 441(E)/18FB/IDRA/82.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development)

No. 411(E)/18FB/IDRA/78, dated the 27th June, 1978 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), had declared that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of publication of the said Order in the Official Gazette (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the Industrial undertaking known as Messrs. Inchek Tyres Limited, Calcutta, or the company owning such industrial undertaking is a party or which may be applicable to such industrial undertaking or company shall remain suspended for a period of one year and that all rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period;

And, whereas, the duration of the said Order was extended up to and inclusive of the 26th June, 1982, vide Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. 515(E)-18FB/IDRA/81, dated the 26th June, 1981.

And, whereas, the Central Government is satisfied that the duration of the said Order be extended for a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order for a further period of six months up to and inclusive of the 26th December, 1982.

[F. No. 2(20)/80-Cus.]

R. K. BHARGAVA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982